पीएमसी पर खर्च की मनपा में मची है लूट

डक्ट पॉलिसी के लिए पीएमयू को बढ़ाकर दिया समय

-4 माह का दिया सेवाविस्तार
-45 लाख रु. अतिरिक्त का भी होगा भुगतान

नगर संवाददाता

नागपुर. मनपा में चाहे छोटा प्रकल्प हो या फिर बड़ा प्रकल्प, प्रत्येक प्रकल्प के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की नियुक्ति अब आम है. भले ही प्रकल्प साधारण स्तर पर मनपा के अधिकारियों द्वारा भी तैयार किया जा सकता हो, लेकिन सर्वप्रथम किसी बाहरी एजेंसी को सलाहकार के रूप में नियुक्ति करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है. इसी क्रम में शहर में डिजिटल और सुरक्षित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नागपुर सेफ एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2.0% और मनपा डक्ट पॉलिसी तैयार करने के लिए पीएमयू (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) की नियुक्ति की गई थी. नियुक्ति के दौरान समयबद्ध तरीके से प्रस्ताव तैयार करने की शर्त रखी गई थी. अब आलम यह है कि समय पर पॉलिसी तैयार नहीं होने के कारण सलाहकार एजेंसी अर्न्स्ट एंड यंग को न केवल 4 महीने का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जा रहा है, बल्कि लगभग 45 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च भी किया जाएगा.

स्थायी समिति के समक्ष रखा गया प्रस्ताव

मनपा सचिव डॉ. रंजना लाडे के आदेशानुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. स्थायी समिति के निर्देशों के तहत शहर में ऑप्टिकल फाइबर व अन्य केबलों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए डक्ट पॉलिसी बनाई जानी है. इसके साथ ही नागपुर सेफ एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2.0% के अंतर्गत कई जटिल नीतिगत व तकनीकी कार्य किए जाने हैं. इस संदर्भ में स्थायी समिति की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी भी प्रदान की गई.

PMU संभालेगी तकनीकी जिम्मेदारियां

-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना.
-सॉल्यूशन डिजाइन बनाना.
-आरएफपी का मसौदा तैयार करना.
-तकनीकी विनिर्देश, पात्रता मानदंड और मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करना.
-निविदा दस्तावेज तैयार करने के साथ-साथ पूरी टेंडर प्रक्रिया के लिए बिड मैनेजमेंट सपोर्ट प्रदान करना.

बिना नई निविदा सीधे वर्क ऑर्डर का आधार

आश्चर्यजनक यह कि अर्न्स्ट एंड यंग पहले से ही मनपा के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में ई-गवर्नेंस पीएमयू सेवाएं दे रही है, जिसमें विभिन्न डिजिटल योजनाओं का समन्वय, तकनीकी मार्गदर्शन, समीक्षा और मॉनिटरिंग का काम शामिल है. कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी विभाग का कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए एजेंसी की सेवाएं निरंतर ली जा रही हैं. चूंकि यह एजेंसी राज्य सरकार के तहत सूचीबद्ध है, इसलिए मौजूदा स्कोप ऑफ वर्क में इन दोनों नए कार्यों को शामिल कर सीधे अतिरिक्त कार्यादेश देने का प्रस्ताव है.

आदासा गणेश मंदिर को मिला 'ब' वर्ग का दर्जा

नागपुर के धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

नागपुर. कलमेश्वर तालुका स्थित प्रसिद्ध और ऐतिहासिक आदासा गणेश मंदिर को महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ब वर्ग ग्रामीण तीर्थस्थल का दर्जा प्रदान किया गया है. यह निर्णय %पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर ग्रामीण यात्रा स्थल योजना (ब वर्ग)% के तहत लिया गया है. इस फैसले से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होगा.

जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के निरंतर प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है. 8 सितंबर को जारी शासन निर्णय के अनुसार राज्य मानक समिति द्वारा प्रस्ताव को सभी कसौटियों पर खरा पाए जाने के बाद यह मंजूरी दी गई. इस निर्णय के लिए बावनकुळे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया है.

विकास कार्यों को मिलेगी गति: मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के ठहरने, पीने के पानी, सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जाएगा. विदर्भ के प्रमुख आस्था केंद्र के रूप में आदासा की पहचान और मजबूत होगी, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को गति मिलेगी. %ब% वर्ग का दर्जा मिलने से मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का विकास अधिक व्यापक और योजनाबद्ध तरीके से हो सकेगा.

प्रमुख गणेश मंडलों के दर्शन के लिए आपली बस सेवा

नागपुर. गणेशोत्सव के अवसर पर गणेश भक्तों को शहर के प्रसिद्ध गणेश मंडलों के दर्शन आसानी से कराने के लिए नागपुर महानगर पालिका की %आपली बस% सेवा तैयार है. गणेश भक्तों के सुरक्षित, सुविधाजनक और समय पर दर्शन सुनिश्चित करने के लिए शहर के प्रमुख हिस्सों में बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है. त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मार्गों पर 5 मिनट से लेकर 60 मिनट के अंतराल में बसें उपलब्ध रहेंगी. इससे श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी और निजी वाहनों का प्रयोग कम होने से शहर को यातायात जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी.

प्रमुख मंडलों को मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी

आपली बस के माध्यम से शहर के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों और वहां स्थित प्रसिद्ध गणेश मंडलों तक सीधे पहुंचा जा सकेगा. महाल, सदर, धरमपेठ, इतवारी, गांधीबाग, प्रतापनगर, अजनी चौक, बजाज नगर, भांडे प्लॉट, भांडेवाड़ी लेआउट, सेंट्रल एवेन्यू, गजानन नगर, वर्धा रोड, आईटी पार्क, जरीपटका, कुकरेजा नगर, लकड़गंज, मंगलवारी, नंदनवन, प्रसाद नगर और त्रिमूर्ति नगर को जोड़ा जाएगा.

इन प्रमुख गणेश मंडलों के पास उपलब्ध रहेंगे बस स्टॉप- महाल का राजा, दक्षिणामूर्ति गणेशोत्सव मंडल, मन्नतपूर्ति गणेश, भारत क्रीडा मंडल, प्रतापनगर का महागणपति और प्रतापनगर बाल गणेश उत्सव मंडल, धरमपेठ गणेश मंडल और धरमपेठ का राजा, सदर का महागणपति, इतवारी का महाराज (श्री शक्ति गणेश उत्सव मंडल) और इतवारी बाल गणेश उत्सव मंडल, गांधीबाग गणेश मंडल और श्री एकता गणेश उत्सव मंडल, लकड़गंज सार्वजनिक गणेशोत्सव और शांति का गणपति, विविध थीम वाले गणपति (आदियोगी, महाकुंभ, जगन्नाथ थीम, डिज्नीलैंड, किंग कांग थीम गणपति), वी.आई.पी.एल. का राजा, गजानन नगर, नवचेतना, शिवशंभू, बजरंग और के.के. नगर गणेश उत्सव मंडल.

माफसू के विकास कार्यों को दें गति, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा ने की समीक्षा

नागपुर, महानगर संवाददाता. महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (माफसू) के विकास कार्यों को गति देने के साथ ही विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने दिए. मंत्रालय में आयोजित बैठक में उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की.

बैठक में पशुवैद्यक विज्ञान एवं पशुसंवर्धन (बीवीएससी एंड एएच) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के विद्यावेतन में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. अन्य चिकित्सा शाखाओं के विद्यार्थियों की तर्ज पर माफसू के विद्यार्थियों को 18 हजार रुपये मासिक विद्यावेतन देने के प्रस्ताव के तहत 4 करोड़ 12 लाख रुपये की निधि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को आगामी मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया करने के निर्देश मंत्री ने दिए.

- शिक्षक-शिक्षकेतर पदों की भर्ती को प्राथमिकता

मंत्री मुंडे ने विश्वविद्यालय में रिक्त शिक्षक और शिक्षकेतर पदों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता देने को कहा गया. साथ ही शिक्षकेतर पदों की भर्ती भी तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए.

- निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करें

माफसू के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर चल रहे आधारभूत सुविधाओं और निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई. शैक्षणिक इमारतों, अस्पतालों और छात्रावासों से संबंधित निर्माण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई. इनमें मुंबई, नागपुर, परभणी, शिरवल, उदगीर, वरूड और मोर्शी सहित विभिन्न स्थानों की परियोजनाएं शामिल हैं. मंत्री ने सभी निर्माण कार्यों की प्रगति के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर उन्हें निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए. विद्यार्थियों को छात्रावास सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने पर भी उन्होंने जोर दिया. बैठक में विद्यार्थियों के विद्यावेतन, इंटर्नशिप भत्ते तथा पशुवैद्यकीय और डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना पर भी विस्तृत चर्चा हुई. संबंधित मामलों में आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए.

आंदोलन कर कानून-व्यवस्था न बिगाड़ें

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अपील

नागपुर. गणेशोत्सव पर्व और राज्य में मंडरा रहे सूखे के खतरे को देखते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आंदोलनकारियों से मुंबई में प्रदर्शन न करने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बंबई उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है.

मराठा और ओबीसी समाज के अधिकारों की रक्षा मनोज जरांगे के आंदोलन पर बावनकुले ने कहा कि ओबीसी हो या मराठा समाज, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. सरकार समुदाय की मांगों के प्रति संवेदनशील है. इसलिए आंदोलनकारियों को सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए.

RPF ने नाबालिग को सुरक्षित बचाया

नागपुर, नगर प्रतिनिधि. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों के क्रम में रेलवे सुरक्षा बल अजनी ने ट्रेन 12106 विदर्भ एक्सप्रेस में अकेले यात्रा कर रहे एक नाबालिग बच्चे को गलत हाथों में जाने से बचा लिया. जानकारी के अनुसार, ट्रेन में पेट्रोलिंग के दौरान आरपीएफ सुरक्षाकर्मियों की नजर नाबालिग बालक पर पड़ी, जो अकेले यात्रा कर रहा था. पुछताछ में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. उस नाबालिग बालक को अजनी रेलवे स्टेशन लाया गया और संबंधित आरपीएफ कर्मचारियों को सौंपा गया. इसके बाद आगे की पूछताछ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे ड्यूटी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया. संवेदनशीलता के साथ की गई काउंसलिंग के दौरान पता चला कि नाबालिग पारिवारिक समस्या के कारण घर से निकल आया था और अकेले यात्रा कर रहा था. मेयो में मेडिकल चेकअप के बाद उसे चाइल्डलाइन प्रतिनिधि के सहयोग से उसे सुरक्षित रूप से पाटनकर चौक स्थित शेल्टर होम में दाखिल कराया गया.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की पूरी करें जांच

हाई कोर्ट ने डब्ल्यूसीएल की आंतरिक शिकायत समिति को दिए आदेश

नगर संवाददाता

नागपुर. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके और न्यायाधीश राज वाकोडे ने आंतरिक शिकायत समिति को जांच पूरी कर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए. कोर्ट ने समिति को आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने को कहा. डॉ. श्वेता घरातकर द्वारा हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई. याचिका में कोल इंडिया लिमिटेड तथा अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ आवश्यक दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. शशांक अग्रवाल ने पैरवी की.

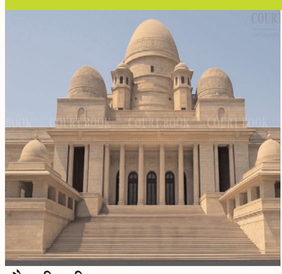

वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप

याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनके कार्यस्थल पर उनके एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया. इस संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी. मामले को लेकर उमरेड पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज की गई थी. अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस ने मामले में जांच के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ सामग्री मिलने पर आरोपपत्र दाखिल किया और आपराधिक मामला फिलहाल ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है.

2013 का कानून लागू, फिर भी समिति नहीं थी गठित

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी कानून वर्ष 2013 से लागू होने के बावजूद उस समय नागपुर स्थित वेस्टर्न कोलफील्ड्स में इस प्रकार की शिकायतों की जांच के लिए सक्षम आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं थी. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इसी कारण कानून के तहत पहले शिकायत प्रस्तुत नहीं की जा सकी. बाद में समिति उपलब्ध होने के बाद याचिकाकर्ता ने 23 जून 2026 को संबंधित अधिकारी के खिलाफ विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की. अगले ही दिन 24 जून को शिकायत को डब्ल्यूसीएल की आंतरिक शिकायत समिति और महिला प्रकोष्ठ के पास भेज दिया गया.

आरोप 2023 के लेकिन जांच के लिए सक्षम समिति नहीं थी

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि आरोप वर्ष 2023 से संबंधित हैं, लेकिन उस समय सक्षम समिति उपलब्ध नहीं होने के कारण शिकायत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. अब शिकायत दर्ज हो चुकी है और उसे आंतरिक शिकायत समिति तथा महिला प्रकोष्ठ को भेज दिया गया है. इस स्थिति में शिकायत की जांच कर उसका निर्णय कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक है.

अवैध शराब पकडी

सागर. थाना सुरखी अंतर्गत ग्राम चतुर्भटा में अजय साहू एवं उसकी मां सीतारानी साहू द्वारा अवैध रूप से शराब का विक्रय करते पकड़ा है। सीतारानी साहू अपने मकान के पास खाली स्थान में दो थैले रखकर बैठी मिली। पुलिस टीम द्वारा थैलों की तलाशी लेने पर उनमें 48 पाव सागर गोल्ड ग्रेन व्हिस्की एवं 81 पाव बॉम्बे स्पेशल व्हिस्की, कुल 23.22 लीटर अवैध शराब, कीमत 14,520 बरामद हुई। पुलिस द्वारा उक्त अवैध शराब को विधिवत जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

मिट्टी के गणेश मूर्तियों का वितरण

नवभारत न्यूज

बंडा 12 सितंबर. पर्यावरण बचाएं, आस्था निभाएं के संदेश के साथ नगर परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल की जा रही है।

नगर परिषद अध्यक्ष वैभवराज सिंह कुकरेले के द्वारा नगरवासियों को 351 मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं निशुल्क प्रदान की जाएंगी। श्री कुकरेले ने बताया कि प्रतिमाओं का वितरण 13 सितंबर को किया जाएगा। वितरण व्यवस्था को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए कूपन प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने बताया कि मिट्टी की प्रतिमाएं पर्यावरण के लिए श्रेष्ठ विकल्प हैं। ये पानी और प्रकृति में आसानी से विलीन हो जाती हैं, जिससे जल, वायु और मिट्टी में प्रदूषण नहीं फैलता। यह पहल हमारी संस्कृति और पर्यावरण दोनों की रक्षा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में सहायक होगी। नगर परिषद अध्यक्ष वैभवराज सिंह कुकरेले ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि वे इस पहल का हिस्सा बनें और इस गणेशोत्सव मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।

जैन मंदिरों में तैयारियां

सागर. दशलक्षण पर्व पर जैन मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्व के पहले शहर के विभिन्न जैन मंदिरों की वेदियों पर विराजमान भगवान की सभी प्रतिमाओं का मंजन श्रावको के द्वारा शुद्ध वस्त्रों में कर साफ- सफाई की जा रही है। वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन में प्रतिमाओं के साथ वेदी, सिंहासन, गर्भगृह और मंदिर परिसर की भी सफाई की जाती है। जैन समाज के मुकेश जैन ढाना ने बताया कि दिगंबर जैन परंपरा में दशलक्षण पर्व के पूर्व जिनालय और जिनप्रतिमाओं की विशेष साफ-सफाई की परंपरा चली आ रही है। मंदिर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित करने के साथ श्रद्धालुओं में धार्मिक और आध्यात्मिक भाव जागृत करना है।

गर्ल्स कॉलेज में क्विज प्रतियोगता हुई आयोजित

नवभारत न्यूज

सागर 12 सितंबर. शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय के भूगोल विभाग के वसुधा जियो क्लब द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतगर्गत भूगोल विषय की सभी कक्षाओं की छात्राओं के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय एवं उनका योगदान विषय पर क्विज प्रतियोगता का आयोजन हुआ।

विभागाध्यक्ष शिवम दुबे ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन साहस, समर्पण और राष्ट्रभिक्त की अनुपम मिसाल है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें नेताजी के विचारों और आदर्शों को केवल पुस्तकों तक सीमत न रखकर अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और समाज एवं राष्ट्र के नव-निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहए। प्रतियोगता में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाली निम्नलिखित छात्राओं को विभागीय सदस्यों द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिससे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन हो सके। जिसमें प्रथम स्थान प्रियंका लोधी, द्वितीय स्थान चन्द्रविती अहिरवार, मधु तिवारी मौजूद थे।

पहले सील किया फिर अवैध निर्माण हटाया, लाइसेंस निरस्त

नवभारत न्यूज

सागर 12 सितंबर. जिले में मिलावटखोरी, अवैध कब्जों, भू-माफियाओं और अवैध शराब के विरुद्ध कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के सख्त रुख के बाद लगातार प्रशासनिक कार्रवाई जारी है।

गत दिवस 5 प्रमुख होटल और रिसॉर्ट और ढाबे को सील करने के बाद, आज जिला प्रशासन, पुलिस बल और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने एनएचएआई की कीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पटवारी हल्का नंबर 78, खसरा नंबर 315/2 एवं 316/2 में एनएचएआई की शासकीय भूमि पर पाथवे रिसॉर्ट प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से बाउंड्रीवॉल, भव्य गेट एवं अन्य पक्के निर्माण कर कब्जा किया गया था। एनएचएआई द्वारा पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे ध्वस्त कर दिया और भूमि एनएचएआई को सुपुर्द कर दी। खसरा नंबर 89/3 में राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर सत्यम ढाबे द्वारा अवैध रूप से बनाई गई 4500 वर्गफीट सीसी पार्किंग, ढाबे के सामने किए गए अतिक्रमण और 595 वर्गफीट शेड को ध्वस्त किया गया। साथ ही मौके पर संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन को सील बंद कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व व प्रशासनिक दल द्वारा किए गए दस्तावेज परीक्षण पर मुनमुन ढाबा को भी तत्काल प्रभाव से सील किया गया है, आगे की कार्रवाई परीक्षण उपरांत की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने आरोपियों की वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत मदिरा लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। मगरधा मदिरा समूह के लाइसेंसधारी सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा का कंपोजिट लाइसेंस रद्द किया गया है। बरेठी मदिरा दुकान के लाइसेंसधारी यशवंत सिंह ठाकुर का लाइसेंस रद्द किया गया है।

कलेक्टर ने आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत बंडा एवं बहेरिया थाना क्षेत्रों से संबंधित तीन मामलों में जारी शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। सोहन राजपूत निवासी ग्राम ततरवारा, थाना बंडा। 12 बोर शस्त्र निरस्त, हेमलता राजपूत पति चंदू उर्फ चंद्रभान सिंह राजपूत निवासी ग्राम ततरवारा, थाना बंडा। शस्त्र लाइसेंस एन.पी. बोर रायफल निरस्त। दर्ज शस्त्र को थाना बंडा में जमा करने का आदेश जारी किया है। सिद्धार्थ कुशवाहा का एक 12 बोर दो नाल शस्त्र एवं एक-315 बोर रायफल) निरस्त किए है। कारण बताओ नोटिस का उत्तर न देने तथा अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही होगी।

मातृत्व जागरूकता कार्यक्रम हुआ

नवभारत न्यूज

सागर 12 सितंबर. आईएमए द्वारा सुरक्षित मातृत्व जागरूकता कार्यक्रम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बड़कुवाँ में आयोजित हुआ। आईएमए अध्यक्ष डॉ. तल्हा साद ने कहा कि गर्भावस्था बीमारी नहीं, बल्कि मां और बच्चे के जीवन का महत्वपूर्ण चरण है। डॉ. साद ने कहा कि गर्भावस्था में भोजन की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। अस्पताल या अधिकृत स्वास्थ्य संस्थान में संस्थागत प्रसव कराने पर जोर दिया। प्रसव के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है।